

दिनांक:- 02.01.2018

विषय:- एलओए के मामलों में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एलओए पंजीकरण के बाद नए आइटम जोड़ना.

एलओए के मामलों में नए कॉल के समय इंस्पेक्शन के स्थान को परिवर्तित करने का प्रावधान पहले ही दिया जा चुका है. अब यह सुविधा देने का निश्चय किया गया है कि ऑनलाइन कॉल के पंजीकरण के समय कांट्रेक्टर नए आइटम एलओए के मामलों में अपनी तरफ से पंजीकृत कर सकता है.

2. ऐसे मामलों में एलओए के प्रावधानों के अनुरूप डिलीवरी पीरियड का ब्यौरा कांट्रेक्टर को भरना होगा. एलओए यदि यह पाया जाता है कि डिलीवरी का पीरियड में दिखाए गए समय से मेल नहीं खाता तो निरीक्षण इंजीनियर द्वारा कॉल को शुल्क सहित रद्द करने का अधिकार होगा. निरीक्षण की शुरुआत से पहले डीपी की जांच करने की जिम्मेदारी निरीक्षण अभियंता पर होगी.

3. इन निर्देशों की जानकारी सभी निरीक्षण इंजीनियरों को दी जाए. कॉल ट्रेस द्वारा नए आइटम डालने की सुविधा इसके साथ समाप्त हो जाएगी.

(राइट्स लिमिटेड)